

परिपालय फलवट प्रह्नसू. 1082 ख जबलपुर

जबलपुर दिनांक 22/11/2016

पृ. क. / 1505 / स.अ.भू.अ. / 3 / 2016

प्रति,

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
म.प्र. ग्वालियर

विषय :- तहसील सिहोरा के ग्राम खम्हरिया (कटरा) के स्थान पर कटरा (खम्हरिया) में संशोधन कर परिवर्तन किए जाने के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि जिला जबलपुर तहसील सिहोरा, विकासखण्ड सिहोरा, राजस्व निरीक्षक मण्डल खितौला, प.ह.नं. 78 के ग्राम खम्हरिया (कटरा) के स्थान पर कटरा (खम्हरिया) किए जाने के प्राप्त प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में संलग्न आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

कलेक्टर

जबलपुर

जबलपुर दिनांक 22/11/2016

पृ. क. / 1505 / स.अ.भू.अ. / 3 / 2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव राजस्व म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त प्लॉट नंबर 220 राहत भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त भू-अभिलेख जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर

जबलपुर

Handwritten signature/initials

कार्यालय तहसीलदार सिहोरा जिला- जबलपुर (म.प्र.)

सिहोरा दिनांक 03.11.2016

क्रमांक/580/का.गो./2016

प्रति,

✓ कलेक्टर महोदय

(मू. अभिलेख) शाखा

जबलपुर

विषय:- तहसील सिहोरा के ग्राम खम्हरिया (कटरा) के रथान पर कटरा (खम्हरिया) में संसोधन कर परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1260/स.अ.मू.अ./3/2016 दिनांक 27.09.2016

000

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। चाहे गये निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तैयार कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- प्रपत्र


तहसीलदार
सिहोरा

सिहोरा दिनांक 03.11.2016

पु.क्रमांक/ /भा.ना.10/2016

प्रतिलिपि:-

- 1. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सिहोरा की ओर सूचनाार्थ ।


तहसीलदार
सिहोरा

A.S. & P. III
J.S.
107/116
1467
10.11.16

1	क्या ग्राम/कस्बा/शहर के बदलने के प्रस्ताव की जांच भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 130/53 पब्लिक दिनांक 11 सितम्बर 1953 में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है।	नहीं क्योंकि ग्राम की पूरी सीमा की इसी। डि-मी-ई।
2	प्रस्तावित नाम चुनने के क्या कारण हैं।	जनसंख्या मूल नाम से अधिक है
3	क्या ग्राम/कस्बा/शहर के नाम पुर्ननामकरण अथवा परिवर्तन यहां के लोगों को स्वीकार है और क्या इससे यहां के निवासियों में टकराव या दुर्भावना उत्पन्न नहीं होगी	नहीं
4	क्या प्रस्तावित परिवर्तन से उस रेल्वे स्टेशन के नाम में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जो इस ग्राम/कस्बा/शहर के लिए बना हुआ है।	रेल्वे स्टेशन नहीं है
5	विचाराधीन ग्राम/कस्बा/शहर का वर्तमान नाम कब से है।	—
6	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	रिश्तवाल
7	थाना का नाम	गोखलपुर
8	जिला का नाम	जबलपुर
9	राज्य का नाम	म.प्र.
10	पोस्ट ऑफिस का नाम	गोखलपुर
11	ग्राम का अक्षांश	—
12	ग्राम का देशांश	—
13	ग्राम की जनसंख्या	500
14	ग्राम का कुल क्षेत्रफल	281.27
16	ग्राम की चौहद्दी — पूर्व में — दक्षिण में — पश्चिम में — उत्तर में	मातगांव धुबना देवरी कटरा
18	ग्राम में शिक्षण संस्थान	नहीं
17	ग्राम में शासकीय भवन	नहीं
18	साप्ताहिक बाजार	नहीं
19	ग्राम में दर्शनीय स्थल	नहीं
20	नाम परिवर्तन का कारण	शासकीय या शा. कार्य में स्थिति ग्राम की जनसंख्या मूल नाम से अधिक है